समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(जिला नजारत प्रशाखा)

अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना।

सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–7644, दिनांक 05.08.2010 द्वारा जिले में पदस्थापित, वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है। रोहतास जिला अन्तर्गत बोलेरों/टाटा सूमो/इनोवा/जाईलो/स्कॉर्पियों/सफारी/इन्डिगो या अन्य चार पहिया वाहन वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों के व्यवहार हेतु भाड़े पर वाहन चालक सहित उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है (सफेद रंग की गाड़ी–2016/2017 मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी) इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा का रसीद, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण पत्र) के साथ **दिनांक 28.08.2017 को 01:00 बजे अपराह्र तक अपना निविदा जिला नजारत शाखा** में दे सकते है। उसी दिन समय 4:00 बजे अपराह्न बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे खोला जायेगा, जिसमे निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदादाता तकनीकी एंव वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लीफाफा में देंगें।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. वाहन के निबंधन संख्या की अभिप्रमाणित छाया प्रति, जो व्यवसायिक अन्तर्गत निबंधित हो।
2. वाहन के बीमा का अद्यतन रसीद संलग्न किया जाय।
3. वाहन का अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र।
4. वाहन का अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र।
5. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
6. कोई भी निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकार नही किया जायेगा।
7. निविदादाता को निविदा के साथ मो0 5000.00 (पॉच हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, रोहतास के पक्ष मे देय हो, संलग्न करना है।

सामान्य शर्तें :–

1. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा।
2. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं उस पर होने वाले तेल एवं चालक का व्यय वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
3. भाड़े पर वाहन लिए जाने से पूर्व गाड़ी के फिटनेस की जॉच जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिस समिति में जिले के एम0भी0आई0 सदस्य होंगे।

[illegible] परिचालन होने की स्थिति में ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा लागबुक के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश वाहन का परिचालन महिनें में 1500 कि0मी0 से कम रहता है तो वह व्ययगत नहीं होगा बल्कि वाहन मालिक को अगले माह परिचालन करना होगा।

5. भाड़े पर वाहन की निविदा ईंधन सहित एवं ईंधन रहित प्रति दिन एवं प्रति माह का दर अलग–अलग देना होगा तथा ए0सी0 एवं नन ए0सी0 गाड़ी की निविदा का दर भी अलग–अलग देना होगा।
6. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे, अगर वे ऐसा नही करते है तो उस माह का भाड़े का भुगतान नही किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एंव स्थनीय आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदा मे बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. किसी विवाद की स्थिति मे अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
11. नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती की जायेगी।
12. इसे जिले के वेबसाईट www.rohtas.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास सासाराम।